भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AD 060529

यह जनरल स्टाम्प पेपर संख्या — जे० पी० चन्द्रवती एजूकेशनल सोसाइटी, बिजनौर
के स्मृति-पत्र/नियमावली की सत्यापित प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AD 060530

यह [illegible] स्टाम्प पेपर संख्या — जे० पी० चन्द्रवती एजूकेशनल सोसाइटी, बिजनौर

[illegible] स्मृति-पत्र/नियमावली की [illegible] प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
29/11/2016

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : जे0 पी0 चन्द्रवती एजूकेशनल सोसाइटी।
2. संस्था का पता : मौहल्ला सराय रफी, चॉदपुर जिला बिजनौर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उददेश्य : निम्नलिखित उददेश्यो होगें:–

1. प्राथमिक शिक्षा स्तर से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के लिए स्कूल कालेज, महाविद्यालयों की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध कर संचालन करना। शिक्षा सुधार हेतु शिक्षाविदों की गोष्ठियां आयोजित करके सरकार को उनसे अवगत कराना, उन सभी साधनों का कियान्वयन करना जिससे शिक्षा का प्रसार सम्भव हो। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक मार्ग दर्शन देना। छात्रों के लिए छात्रवृति का प्रबन्ध कराना। मिड–डे–मील योजना का संचालन करना।
2. संस्था के द्वारा पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना कर संचालन करना।
3. बच्चो को सरकार से प्रात होने वाली छात्रवृत्ति एवं पुस्तके वितरित करवाना।
4. समय समय पर खेल कूद , स्वास्थ्य , सफाई तथा सांस्कृकित कार्यकमो का आयोजन करना तथा बेरोजगार युवक–युवतियो के रोजगार हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर संचालन करना।
5. समाज के विकलाग व अनाथ बच्चो व युवाओ /युवतियो को सरकार से दान, अनुदान, प्राप्त कराकर उन्हे स्वावलम्बी बनाना। तथा देश का आदर्श नागरिक बनने मे सहयोग करना।
6. प्रौढ शिक्षा जैसे कार्यकम मे भाग लेकर लोगो को साक्षर बनाने मे सहायता करना।
7. समाज में पनप रही आपसी द्वेष भावना को समाप्त करने हेतु राष्ट्रहित में राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करना, समाज में सदभावना कायम करना तथा मानव अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना।
8. समाज के सभी धर्मों व जातियों के पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, संग्रहालयों, वाचनालयों की स्थापना कर उनका चतुमुखी विकास करना एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे निर्वल व दलित वर्ग के लोगों को मोबाईल डिस्पेंसरी व अस्पताल के माध्यम से निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
9. सभी प्रकार के विकलांगों एवं कुष्ट रोग से मुक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उन्हे शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण करना व उनके सर्वांगीण विकास हेतु छात्रावासों की स्थापना कर निशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान कर उनको पुर्नवासित करना।
10. समाज में शिशुओं को अपंग, शिकार बनाकर अपाहिज कर देने वाली बीमारी को जड़ से मिटाने हेतु पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यकम के अन्तर्गत सरकारी अभियान में सहयोग करना एवं असुरक्षित यौन सम्बन्धों के कारण उपजी बीमारी एड्स के सर्वनाश हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी प्रदान करना तथा एड्स, कैंसर आदी के उन्मूलन हेतु निशुल्क कार्यकम चलाना तथा संस्था के द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालयो की स्थापना कर संचालन करना एवं निशुल्क इलाज करना।
11. परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी देना एवं गर्भ वती महिलाओं के लिए प्रजनन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। मां और शिशुओं की सुरक्षा हेतु टीकाकरण की जानकारी देना और टीकाकरण कराना।
12. बालक/बालिकाओ व महिलाओ को सिलाई, कढाई, बुनाई पेन्टिग, दरी कालीन आदि का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने मे सहयोग प्रदान करना।
13. युवाओ को उनके स्वंय के विकास के लिए संचालित सामाजिक कार्यकमों से लाभान्वित कराना जैसे स्वरोजगार योजना, स्वंय सहायता समूल, प्रदर्शन एवं निशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन आदि कराना।
14. स्कूलो को कायम करना व उनकी देखभाल करना और उनका आधुनीकरण करना व सरकारी सहायता आदि लेना और उनकी उन्नति करने के साथ साथ उनमें अरबी, उर्दू, हिन्दी, फारसी, अंग्रेजी एवं विज्ञान कम्पयूटर आदि की शिक्षा प्रदान करना।

Vishwas Gupta
Seema Gupta
Shivali Gupta

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

15. बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण वस्तुस्थिति का अध्ययन कर राष्ट्रीय नीति के अनुसार बालश्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना। मानवाधिकार, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाना एवं बाल श्रमिकों, अनाथों, निराश्रितों को शिक्षा प्रदान करना।
16. समाज में बुजुर्गो के प्रति बढ़ रहे असम्मान एवं बोझ को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नरकीय जीवन व्यतीत एवं आत्महत्या से बचाने के लिए वृद्धाश्रम एवं डे–केयर सेन्टर की स्थापना कर उसमें बिना किसी भेदभाव के निशुल्क प्रवेश देकर उन्हें चिन्तामुक्त जीवन प्रदान कर लाभान्वित करना।
17. समाज के सभी निर्धन वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढाई बुनाई, जरदोजी पत्ती तर्क मोमबत्ती साबुन धूपबत्ती, अगरबत्ती आदि बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें लघु उधोग स्थापित करने हेतु स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करना, एवं कामकाजी महिलाओ को निशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान करना तथा बाल विकास केन्द्र एवं नारी निकेतन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
18. युवाओं को मनोरंजन, भारतीय संस्कृति व्यायाम व खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु व्यायाम शालाओं की स्थापना करना जनता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना एवं युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को चिन्हत कर राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के योग्य बनाना।
19. वन एवं पर्यावरण की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर आम जनता को लाभान्वित करना एवं पर्यावरण को नियंत्रित करने हेतु पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा भूकम्प, भूस्खलन, बाढराहत , सूखा, महामारी इत्यादि देवी आपदाओं के समय समाज को सहायता उपलब्ध कराना।
20. कृषि सुधार उन्नत बीज व कृषि के लिए भूमि की उर्वक शक्तियों में वृद्धि एवं ऊसर सुधार के लिए निम्न स्तर तक जतन करना व उपायों के बारे में कृषकों को शिक्षित करना एवं मतस्य पालन, मसरूम, रेशमकीट पालन, मधुमक्खी पालन का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यवस्था एवं संचालन करना।
21. संस्था मदिरा, हीरोइन, स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, भांग इत्यादि मादक पदार्थो एवं द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से मादक पदार्थोंक के सेवन से होने वाले नुकसान से अवगत कराना तथा मादक पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके व्यक्तियों के इलाज की निशुल्क सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण कर संचालन करना एवं उचित परामर्श देना।
22. बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु समाज के सभी धर्मों व जातियों के निर्वल वर्ग एवं दलित वर्ग के नवयुवकों व नव युवतियों, महिलाओं को व्यवसायपरक विभिन्न प्रशिक्षणों के साथ साथ टाइप व आशुलिपि, मोटर ड्राईविंग, टी0वी0, मोटर मरम्मत, फिटर, काफ्ट काष्ठकला पेंटिंग डेटिंग बुक बाइन्डिंग प्रिन्टिंग कम्पोजिंग बुक बाइडिंग, फोटोग्राफी तथा उच्च तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कम्पयूटर आदि का निशुल्क प्रशिक्षण देकर युवा व महिला वर्ग को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
23. संस्था जनहित में उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड/आयोग खादी कमीशन सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त बैंकों व समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वस्त्र विभाग, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, डूडा, यूनिसेफ, हुडको, सिफसा, कपार्ट व नवार्ड, वित्त विकास निगम, सेन्ट्रल वकफ कोन्सिल मौलाना आजाद ऐजुकेशन फाउन्डेशन, राज्य सरकार, भारत सरकार, व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिष्ठान आदि की योजनाओं के अनुसार कार्य करना एवं उससे होने वाले लाभ धन को चैरेटेबिल कार्यो पर खर्च करना।
24. साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशनएक्ट 21 सन 1860 के अन्तर्गत हों।

Vishnu Gupta
Seema Gupta
Shivali Gupta

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

5. कार्यकारिणी समिति के सदस्यो के नाम पते, पिता के नाम एवं व्यवसाय जिनको समिति के अनुसार कार्य भार सौपा गया है।

क0 सं0.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	मौहल्ला कोटला, चाँदपुर जिला बिजनौर।	अध्यक्ष	व्यापार
2.	सतीश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश	मौ0 तेलीवाड़ा इन्द्रा मार्केट, अमीनगर, सराय, जिला बागवत।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	विश्वास गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार गुप्ता	मौहल्ला कटारमल, चाँदपुर जिला बिजनौर।	प्रबन्धक	प्रा0 सर्विस
4.	सुनीता जुनैजा पुत्री श्री रघुनाथ भाटिया	मौ0 कबीर नगर, नूरपुर जिला बिजनौर।	उपप्रबन्धक	सर्विस
5.	सीमा गुप्ता पुत्री श्री ओमप्रकाश	मौहल्ला कटारमल, चाँदपुर जिला बिजनौर।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6.	विनय अरोडा पुत्र श्री प्यारेलाल	मौ0 [illegible] रफी पंजाबी बाग, चाँदपुर जिला बिजनौर।	सदस्य	व्यापार
7.	शिवाली गुप्ता पुत्री श्री राकेश गुप्ता	मौहल्ला कटारमल, चाँदपुर जिला बिजनौर।	सदस्य	सर्विस
8.	श्रीमती दिव्या गुप्ता पत्नी श्री निखिल राज गुप्ता	ए–56 गुलाब बाग, उत्तम नगर डी0के मोहन गार्डन सी0ओ0 बेस्ट, दिल्ली।	सदस्य	सर्विस

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि0 एक्ट 1860 के अन्तर्गत एवं समिति का गठन किया है ।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

नियमावली

1. संस्था का नाम : जे0 पी0 चन्द्रवती एजूकेशनल सोसाइटी।
2. संस्था का पता : मौहल्ला सराय रफी, चॉदपुर जिला बिजनौर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उददेश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होगें –
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग :–

आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 11000/– रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 100000/– रू0 या इतने मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को 5100/– रू0 प्रति बर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति :–

1– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ।
2– सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
4– लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहने पर।
5– न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
6– त्याग पत्र देने पर।

7–संस्था के अंग :–

अ– साधारण सभा ।
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

8– साधारण सभा –

1–गठन–साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

2– बैठक– साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति बर्ष मे तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

3– सूचनावधि– साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा बिशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

4-- गणपूर्ति– साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

5– साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार –
1–वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
2–वार्षिक बजट पास करना।
3–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

9–प्रबन्धकारिणी **समिति** –

1–गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यो द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या कम से कम 07 व अधिक से अधिक 31 तक की जा सकती है।

2–बैठके – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रति माह तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।

3–सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

4– कोरम – कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा तथा 51 प्रतिशत बहुमत वाला निर्णय माना जायेगा।

5– रिक्त स्थान की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति मे यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यो द्वारा की जायेगी ।

6– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :–
1– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
2– वार्षिक बजट तैयार करना।
3– बार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
4– संस्था हेतु दान–अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
5– संस्था के विकास हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

कार्यकाल :–

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

10–अन्य नियम :–

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय **समय** पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख– विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें उनसे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिकृत शुल्क नही लिया जाएगा।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जाएगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा

Vishwas Gupta
Seema Gupta
Shivali Gupta

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

विद्यालय को सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली /काउन्सिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामीनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा।

ड– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिए जाऐगें।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जाएगीं और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराए जायेगें।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

ज–विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं मे रखा जाएगा।

उपरोक्त सभी 8 शर्तो मे बिना शासन के पूर्वनुमोदन के कोई परिवर्तन/ परिवर्धन /संशोधन नही किया जाएगा।

11– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार तथा कर्तव्य :–

अध्यक्ष :–

1– समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।

2– बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।

3– समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

4– पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

5– संस्था के आकस्मिक व्यय हेतु 51000/– रूपये तक स्वयं बिना किसी आज्ञा के खर्च कर सकता है।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो का निर्वहन करना तथा संस्था के कार्यो मे सहयोग करना।

प्रबन्धक :–

1– किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।

2– संस्था के अभिलेखो पर हस्ताक्षर करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4– संस्था का पत्र व्यवहार करना।
5– संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।
6– संस्था के निकास हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करना।
7– संस्था के आकस्मिक व्यय हेतु 25000/– रूपये तक स्वयं बिना किसी आज्ञा के खर्च कर सकता है।

उपप्रबन्धक :– प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे प्रबन्धक द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो का निर्वहन करना तथा संस्था के कार्यो मे सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष :–
1– आय–व्यय का लेखा जोखा करना।
2– संस्था के समस्त बिल बाउचरो का भुगतान करना।
3– संस्था के कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।

12– नियमो मे परिवर्तन– संस्था के नियमो मे परिवर्तन सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यो द्वारा किया जायेगा।

13–संस्था का कोष :– संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा डाकघर मे संस्था के नाम से खाता खोलकर धन जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष मे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरो से संचालन किया जायेगा।

14–लेखा परीक्षण :– संस्था के आय – व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर से प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

15– अदालती कार्यवाही : संस्था के समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन उत्तरादायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

16– अभिलेख :–
1– सदस्यता रजिस्टर।
2– कार्यवाही रजिस्टर।
3– एजेंडा रजिस्टर।
4– कैश बुक आदि।

17– विघटन :– संस्था के विघटन एवं विघिटत सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक:– 15/11-2016

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित हस्ताक्षर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
29/11/2016